*आरक्षित निर्णय*

# उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल

## पुनर्विचार याचिका सं. 2019 का 50

इन

**रिट याचिका (एस/बी) सं0 2017 का 392**

सुधीर कुमार..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य..... प्रतिवादी

श्री विनय कुमार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।
श्री बी0एस0 परिहार, उत्तराखंड राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील।
श्री बी0डी0 कांडपाल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के विद्वान अधिवक्ता।
श्री के. पी. उपाध्याय, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, द्वारा सहायता प्राप्त श्री बी0एस0 अधिकारी, पुनर्विचार आवेदक के विद्वान अधिवक्ता।

आरक्षितः 23.08.2019
पारितः 02.09.2019

संदर्भित मामलों की कालानुक्रमिक सूची:

1. (1998) 7 एससीसी 445
2. (2017) 9 एससीसी 469
3. 2007 (8) एस. सी. सी. 785
4. (1996) 4 यूपीएलबीईसी 2392
5. (2010) 12 एससीसी 204
6. एसएलपी सं. 2010 का 32344 में उच्चतम न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.2013
7. (1995) 5 एससीसी 173
8. (2010) एस. सी. सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 1402
9. लिखित अपील सं. 2015 का 37599 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ का आदेश दिनांक 29.07.2016
10. लिखित अपील सं. 2005 का 40695 में आदेश दिनांक 01.10.2015
11. 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217
12. आकाशवाणी 1951 एससी 226
13. (1995) 2 एससीसी 560
14. विशेष अपील सं 2016 का 338 में आदेश दोषपूर्ण दिनांक 29.07.2016
15. ए. आई. आर 1985 एस. सी 218
16. ए. आई. आर 1983 एस. सी. 1246
17. (2002) 3 एससीसी 481
18. (1951) 2 ऑल ईआर 1 (एचएल)
19. (2004) 8 एससीसी 579
20. (2003) 11 एससीसी 584
21. (2004) 3 एससीसी 75
22. 2008 एलएपी 340
23. (2008) 16 एससीसी 14)
24. (1972) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 537
25. (2004) 6 एससीसी 186
26. (2002) 80 ईसीसी 328
27. (2006) 1 एससीसी 368
28. 2001 के टी. आर. सी. संख्या. 274 और दिनांक 25.11.2011 के बैच में पूर्ण पीठ का निर्णय
29. ए. आई. आर 1990 ए. पी. 171
30. (1979) 4 एससीसी 389
31. (1995) 1 एससीसी 170
32. 2005 (5) ए0एल0टी0 41 (डी0बी0)
33. ए. आई. आर 2000 एस. सी. 1650
34. 1998 (1) एएलडी 234
35. ए. आई. आर 1963 एस. सी 1909
36. (2009) 14 एस. सी. सी. 663
37. (2007) 15 एस. सी. सी. 513
38. (1997) 8 एससीसी 715
39. (2006) 4 एससीसी 78
40. ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1372
41. (2000) 7 एससीसी 296
42. आकाशवाणी 1960 एससी 137
43. आकाशवाणी 1980 एससी 2041
44. (2009) 10 एससीसी 464
45. आकाशवाणी 1980 एससी 674

कोरमः **माननीय रमेश रंगनाथन, C.J.**
**माननीय लोकपाल सिंह, जे.**

**रमेश रंगनाथन, C.J.**

क्या सामान्य श्रेणी के पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य के सदस्यों द्वारा अपनी योग्यता के आधार पर भरे जाने के लिए उपलब्ध नहीं हैं?

इसके परिणामस्वरूप, क्या सामान्य श्रेणी में पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के पूर्व सैनिकों के लिए उनकी योग्यता के आधार पर उपलब्ध नहीं हैं?

2. पुनर्विचार याचिका में आक्षेपित आदेश को चुनौती दिए जाने के बावजूद (प.म. 2017 की रिट याचिका (एस/बी) संख्या. 392 दिनांक 11.12.2018) में आदेश, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या में अपने आदेश में खारिज किया जा रहा है। 2019 का 7801 दिनांक 15.04.2019, और उसके बाद लोक सेवा आयोग द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका (पुनर्विचार सं0 567/2019) के दिनांक 19.07.2019 के आदेश द्वारा खारिज किए जाने के बाद, पुनर्विचार आवेदक द्वारा तर्क दिया गया है कि वह इस न्यायालय के पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार है, क्योंकि यह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है जिसने पुनर्विचार के तहत आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील की थी, और उसके बाद इस न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार आवेदन दायर किया था, न कि पुनर्विचार आवेदक (जो रिट याचिका में चौथा प्रतिवादी था)।

3. **एम. सत्यनारायण मूर्ति बनाम मंडल राजस्व, अधिकारी सह–भूमि अधिग्रहण अधिकारी**[1] में माननीय सर्वोच्च न्यायालयद्वारा प्रतिपादित किया गया कि एक ही आदेश के खिलाफ लगातार पुनर्विचार याचिकाओं का सहारा लेना स्वीकार्य नहीं है, विशेष रूप से जहां रिकॉर्ड पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है; याचिकाकर्ता अनावश्यक रूप से स्वतंत्रता ले रहे थे; और दूसरी पुनर्विचार याचिका दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग था। इसके बाद, **चंद्रो देवी बनाम भारत संघ**[2] में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि अपीलकर्ताओं ने पहले एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था और उसके बाद, उन्होंने दूसरी पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने सही ढंग से दूसरी पुनर्विचार याचिका होने पर पोषणीय ना हाने के कारण खारिज कर दिया था क्योंकि यह दूसरी समीक्षा याचिका है।

4. हमें इस बात पर आपत्ति है कि क्या उसी आदेश के खिलाफ एक नए और दूसरी पुनर्विचार याचिकां पर विचार किया जा सकता है, भले ही वह रिट याचिका में किसी अन्य प्रतिवादी द्वारा हो, विशेष रूप से ऐसी एसएलपी द्वारा जिस पर

उच्चतम न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध फिर से विचार नहीं किया गया और इसके बाद लोक सेवा आयुक्त द्वारा हमारे समक्ष दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया। उठाए गए प्रश्नों के महत्व को ध्यान में रखते हुए और इस विवाद को विराम देने के लिए कि अनुसूचित जाति के सदस्य सामान्य श्रेणी के तहत क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों के लिए अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य हैं, हम आगे बढ़ेंगे और चौथे प्रतिवादी– पुनर्विचार आवेदक की ओर से दिये गए तर्कों की गुण दोष पर जांच करेंगे, बजाय उसे इस आधार पर अयोग्य ठहराने के कि दूसरी पुनर्विचार याचिका पोषणीय नही है।

5. जिस आधार पर यह समीक्षा आवेदन दायर किया गया है, वह यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए इन आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों को उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी में पद उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन सामान्य श्रेणी में महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्व सैनिकों आदि के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों में ऐसा लाभ ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षित श्रेणियों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए उपलब्ध नहीं है।

6. प्रस्तुत की गई दलीलों और चौथे प्रतिवादी की ओर से दिए गए निर्णयो पर विचार करने से पहले, मौजूदा पुनर्विचार आवेदन दाखिल करने तक के तथ्यो परध्यान दिया जाना आवश्यक है। रिट याचिका (एस/बी) सं0 2017 का 392, सामान्य श्रेणी में पूर्व सैनिकों के पक्ष में प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण के तहत, दि0 27–07–2017 के अनुसार उप–कलेक्टर के पद पर समीक्षा आवेदक (रिट याचिका में चौथे प्रतिवादी) के चयन को रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया था। पूर्व सैनिकों के पक्ष में आरक्षण, विषय चयन प्रक्रिया में केवल सामान्य श्रेणी के तहत प्रदान किया गया था, न कि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत।

7. रिट याचिकाकर्ता और चौथे प्रतिवादी–पुनर्विचार आवेदक दोनों पूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित थे। जबकि रिट याचिकाकर्ता

अनुसूचित जातियों का सदस्य था, चौथा प्रतिवादी–समीक्षा आवेदक किसी भी आरक्षित श्रेणी (यानी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग ) में नहीं आता था। जबकि रिट याचिकाकर्ता ने 807 अंक प्राप्त किए, चौथे प्रतिवादी–समीक्षा आवेदक ने 776 अंक यानी प्राप्त किये अर्थात याचिकाकर्ता से 31 अंक कम। हालांकि इस आधार पर कि रिट याचिकाकर्ता, हालांकि चौथे प्रतिवादी–समीक्षा आवेदक की तुलना में अधिक मेधावी था, अनुसूचित जाति से था, और पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं बल्कि केवल सामान्य श्रेणी में प्रदान किया गया था, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रिट याचिकाकर्ता के बजाय उप–कलेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए पुनर्विचार याचिकाकर्ता का चयन किया।

8. रिट कार्यवाहियों में इस तरह के चयन को चुनौती दिए जाने पर, इस न्यायालय ने 2017 की रिट याचिका (एस/बी) संख्या. 392 में अपने आदेश दिनांक 11.12. 2018 में कहा था कि समाज के पिछड़े वर्गों जैसे कि अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50 प्रतिशत से अधिक ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया जा सकता है; उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के साथ–साथ सामान्य श्रेणी में भी, महिलाओं, शारीरिक विकलांग, पूर्व सैनिकों आदि के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण की अनुमति है; क्षैतिज आरक्षण सामान्य श्रेणी में भी प्रदान किया जा सकता है; सभी आवेदक क्षैतिज नतीजन आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हैं, बशर्ते वे उन श्रेणियों के अंतर्गत आते हों जिनके लिए क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। परिणास्वरूप सभी आवेदक जो पूर्व सैनिक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, सामान्य श्रेणी में पूर्व सैनिकों हेतु निश्चित पदों पर योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के अधिकारी होंगे। भले ही वे अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हो अथवा किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत न आते हों।

9. हमने **राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा**[3] मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए कहा था कि

आरक्षित श्रेणी के सदस्य (यानि अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति), सामान्य श्रेणी के पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के हकदार थे; **राजेश कुमार दरिया**[3] में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को मौजूदा मामले के तथ्यों के लिए लागू करते हुए, लोक सेवा आयोग को पहली बार में सामान्य श्रेणी के पदों को केवल उम्मीदवारों की अंतर–योग्यता के आधार पर भरने की आवश्यकता होगी; ऐसे सामान्य श्रेणी के पदों में उक्त श्रेणी के तहत क्षैतिज रूप से आरक्षित पद भी शामिल होंगे यानि सामान्य श्रेणी मेंपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पद। सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों को भी सबसे मेधावी पूर्व सैनिक से भरा जाना चाहिए, चाहे वह आरक्षित श्रेणी (अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति) से संबंधित हो या नहीं; और केवल यह तथ्य कि पद सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित थे, और अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित नहीं थे, इसके परिणामस्वरूप एक अधिक मेधावी अनुसूचित जाति का उम्मीदवार, जो एक पूर्व सैनिक भी था, सामान्य श्रेणी में पूर्व सैनिक कोटे के तहत, उसकी योग्यता के आधार पर चयन से वंचित नहीं हो सकता था।

10. यह ध्यान देने के बाद कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष **बृजेंद्र देव मिश्रा बनाम लोक सेवा आयोग, उ0प्र0**[4] में भी इसी तरह का विवाद उठाया गया था, हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पद पर रिट याचिकाकर्ता की केवल इस आधार पर कि वह अनुसूचित जाति से थे, नियुक्ति नहीं करने में गलती की थी, हालांकि उन्होंने चौथे प्रतिवादी (यहां समीक्षा आवेदक) से अधिक अंक प्राप्त किए थे। चौथे प्रतिवादी का चयन निरस्त किया गया था, और लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया था कि रिट याचिकाकर्ता का नाम तुरंत सरकार को भेजा जाए ताकि उसे सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के कोटे के तहत उप–कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए जा सकें।

11. उक्त आदेश से व्यथित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय में एसएलपी (सी) नं. 7801/2019 दायर की गई। एसएलपी (सी) नं. 7801/2019 में आदेश दिनांक 15.04.2019, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले पर कुछ समय तक बहस करने के बाद, आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी थी और स्पष्टीकरण लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि क्या आक्षेपित आदेश का पालन करते हुए, चौथे प्रतिवादी (पुनर्विचार आवेदक) को भी लोक सेवा आयोग द्वारा पहले प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ता के साथ समायोजित किया जा सकता है। बाद में की गई प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति याचिका वापस ले लिया गया जैसा कि मांगा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम प्रतिवादी–रिट याचिकाकर्ता की ओर से किए गए निवेदन पर भी ध्यान दिया कि वह लंबित अवमानना याचिका में तीन सप्ताह के स्थगन की मांग करेगा।

12. इसके बाद, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने रिट याचिका (एस/बी) संख्या 392/2017 में पुनर्विचार आवेदन सं. 567/019 दायर की गई पुनर्विचार आवेदन सं. 567/2019 में आदेश दिनांक 19.07.2019 हम ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रिट याचिकाकर्ता के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी चौथे प्रतिवादी–समीक्षा आवेदक को समायोजित करने हेतु मांगे गए किसी भी निर्देश को जारी करने के लिए हमारी अनिच्छा व्यक्त की, और राय दी थी कि हमारे द्वारा पारित आदेश आयोग को ऐसी विधिक कार्रवाई करने से अक्षम नहीं करता है जो वे उचित समझते हैं।

13. चौथे प्रतिवादी–समीक्षा आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के0पी0 उपाध्याय ने कहा कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के विपरीत, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में प्रदान किया गया है, पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत प्रदान किया गया है; परीक्षण, जो अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण प्रदान करने में लागू होंगे, क्षैतिज आरक्षण पर लागू नहीं होंगे।

अनुच्छेद 16 (1) के तहत आरक्षण; जबकि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के सिद्धांत यह हैं कि आरक्षण योग्यता के अलावा है, उक्त परीक्षा क्षैतिज आरक्षण पर लागू नहीं होगी; प्रत्येक श्रेणी (यानी सामान्य श्रेणी, अन्य पिछड़े खण्ड पीठ अन्य अनुसूचित जनजाति); के लिए क्षैतिज आरक्षण अलग से प्रदान करने की आवश्यकता है। किसी विशेष श्रेणी के लिए निर्धारित ऐसे क्षैतिज आरक्षण को किसी अन्य श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है; मौजूदा मामले में, पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण सामान्य श्रेणी के तहत प्रदान किया हलं है, न कि अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित पदों के लिएय चूंकि क्षैतिज आरक्षण अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए रिट याचिकाकर्ता, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के पक्ष में प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण के लाभ से वंचित है; विज्ञापन में कहा गया है कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेता है, वह बाद में अपना विकल्प नहीं बदल सकता है; क्योंकि रिट याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आरक्षण का लाभ मांगा था, वह अब सामान्य श्रेणी में पूर्व सैनिक के क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। विज्ञापन में उल्लेखित शर्तें रिट याचिकाकर्ता पर भी बाध्यकारी हैं। खंडपीठ द्वारा अपने आदेश में Uttar Pradesh Public Services (reservation for physically handicapped, dependents of freedom fighters and ex servicemen) Act 1993 पर विचार किया गया था परन्तु उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों की गलत रूप से व्याख्या की गई। चुंकि आक्षेपित आदेश अभिलेख में प्रकट दोष से दूषित है, उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजेश कुमार दरिया[3]**, **लोक सेवा आयोग बनाम ममता बिष्ट व अन्य[5]**, **उ0प्र0 राज्य बनाम राजीव कुमार[6]**; **अनिल कुमार गुप्ता अन्य अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य और अन्य[7]**; **राजीव कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य[8]**; **आशीष कुमार पांडे बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य[9]**; और **अजय कुमार बनाम यू. पी. राज्य और अन्य[10]** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का आदेश के विपरीत है तथा उक्त आदेश पुनर्विचार में खारिज किया जाना चाहिए और पुनर्विचार याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए।

14. जिस आधार पर समीक्षा आवेदक की ओर से अनुरोध किया गया है, वह यह है कि सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के पक्ष में प्रदान किया गया क्षैतिज आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, भले ही वे पूर्व सैनिक हों जो इन आरक्षित श्रेणियों से संबंधित नहीं होने वाले पूर्व सैनिकों की तुलना में अधिक योग्य हों। यह, बदले में, इस आधार पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद केवल गैर–आरक्षित श्रेणी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवार के लिए उपलब्ध हैं।ये दोनों विचार त्रुटिपूर्ण हैं।

15. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। सामान्य श्रेणी में कोई आरक्षण नहीं है और सामान्य श्रेणी में पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों सहित सभी उम्मीदवारों की अंतर–योग्यता के आधार पर भरे जाने के लिए खुले हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण, जैसा कि **इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ**[1] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, योग्यता के अतिरिक्त है। जबकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य सामान्य श्रेणी के तहत अपनी योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के हकदार हैं, वे इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत विशिष्ट आरक्षित श्रेणियों यानी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से निर्धारित पदों में आरक्षण के हकदार होंगे। उदाहरण के लिए, यदि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य योग्यता के क्रम में पहले स्थान पर आता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में एक पद पर चुना और नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा, न कि अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों पर, क्योंकि वह अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के तहत पदों पर नियुक्त होने का हकदार है, न कि अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में।

16. क्षैतिज आरक्षण के मामले में भी स्थिति ज्यादा नहीं बदलती है। संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत उत्तराखंड की महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्व सैनिकों, उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों आदि के पक्ष में इस तरह का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। क्षैतिज आरक्षण, निस्संदेह, अलग–अलग श्रेणियों यानी सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी और अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत प्रदान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इन सभी श्रेणियों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पद होंगे, जो आमतौर पर उन महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो इनमें से प्रत्येक श्रेणी से संबंधित नहीं हैं।

17. हालाँकि, इसका उल्टा सच नहीं है। सामान्य श्रेणी में महिलाओं के पक्ष में उपलब्ध क्षैतिज आरक्षण, सभी महिलाओं के लिए उनकी जाति या सामाजिक स्थिति के बावजूद उपलब्ध है। सामान्य श्रेणी में महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों को सभी महिला उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के क्रम में उपलब्ध कराया जाता है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण के बीच एकमात्र अंतर यह है कि, यदि इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों को उनके पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित कोटे के बराबर या उससे अधिक महिलाओं द्वारा भरा जाता है, तो निम्न श्रेणी की महिलाएं क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने का दावा करने की हकदार नहीं होंगी, यह तर्क देते हुए कि जिन महिलाओं ने अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है, उन्हें महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों के लिए विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। जबकि अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण का योग्यता के अलावा होने का सिद्धांत, अनुच्छेद 16 (1) के तहत प्रदान किए गए क्षैतिज आरक्षण पर सख्ती से लागू नहीं हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य श्रेणी के तहत क्षैतिज रूप से आरक्षित पद पिछड़े वर्गों (यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग), जिनके पक्ष में संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है, के लिए अनुपलब्ध हैं, सामान्य श्रेणी के तहत पद सभी के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं।

नतीजन सामान्य श्रेणी में पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद, सभी पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध होंगे, चाहे वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों या अन्य श्रेणियों से संबंधित हों, और उनकी योग्यता के क्रम में भरे जाने चाहिए।

18. महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते समय इसी तरह का नियम पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने में भी लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि सामान्य श्रेणी के दस पदों अपने में से से एक पद पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित है, तो सभी उम्मीदवारों को, उनकी जाति की स्थिति के बावजूद, उनकी योग्यता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए; और, यदि शीर्ष दस सबसे मेधावी उम्मीदवारों में से एक या अधिक पूर्व सैनिक हैं, तो इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यदि शीर्ष दस उम्मीदवारों में कोई पूर्व सैनिक नहीं है, तो लोक सेवा आयोग सबसे मेधावी पूर्व सैनिक को लेने के लिए बाध्य है, भले ही वह शीर्ष दस में न आए, और योग्यता सूची में दसवें उम्मीदवार को उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। मौजूदा मामले में, सामान्य या खुली श्रेणी के तहत योग्यता सूची में अंतिम उम्मीदवार ने 818 अंक प्राप्त किए थे, और रिट याचिकाकर्ता और चौथे प्रतिवादी– पुनर्विचार आवेदक दोनों ने उससे कम अंक प्राप्त किए थे, और योग्यता में उससे कम थे। चूंकि 818 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी पूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित नहीं था, इसलिए लोक सेवा आयोग को सामान्य श्रेणी में 818 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सबसे मेधावी पूर्व सैनिक के साथ प्रतिस्थापित करना चाहिये था, भले ही उसने कम अंक प्राप्त किए हों।

19. रिट याचिकाकर्ता, एक पूर्व सैनिक, जिसने 807 अंक प्राप्त किए थे, योग्यता के क्रम में चौथे प्रतिवादी पुनर्विचार आवेदक की तुलना में अधिक थे, जिन्होंने केवल 776 अंक प्राप्त किए थे।नतीजन रिट याचिकाकर्ता, सबसे मेधावी पूर्व सैनिक होने के नाते, चुना जाना चाहिए था और सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिक के पक्ष में आरक्षित पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए था –

न कि चौथा प्रतिवादी समीक्षा आवेदक जिसने उससे 31 अंक कम प्राप्त किए थे।

20. हालाँकि, लोक सेवा आयोग ने चौथे प्रतिवादी– पुनर्विचार आवेदक का चयन इस गलत आधार पर किया कि सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं था, भले ही वे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी पाए गए जो इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं थे। वास्तव में, यह सांप्रदायिक आरक्षण की शुरुआत का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन**[12] में अस्वीकार कर दिया था। यद्यपि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पुनर्विचार के अधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, कम से कम एक स्पष्ट त्रुटि है, जो इस पुनर्विचार याचिका का आधार है, फिर भी हमें चौथे प्रतिवादी– पुनर्विचार आवेदक की ओर से सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णयों पर जिन्हें चौथे प्रतिवादी–पुनर्विचार आवेदक द्वारा आधार बनाया गया है, अवलोकन किया जाना चाहिए।

21. **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में, प्रारंभिक अधिसूचना में पंद्रह प्रतिशत विशेष (क्षैतिज) आरक्षण के साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में माना गया था; **स्वाति गुप्ता बनाम यू. पी. राज्य और अन्य**[13] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ ये विशेष आरक्षण क्षैतिज आरक्षण बन गए; जिन उम्मीदवारों ने उक्त विशेष (क्षैतिज) आरक्षणों में से किसी के तहत आवेदन किया था, उन्हें यह निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था कि क्या वे अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों या खुली प्रतिस्पर्धा श्रेणी से संबंधित हैं; 2130 उम्मीदवारों में से, जिन्होंने पांच विशेष आरक्षण श्रेणियों क अंतर्गत आवेदन किया था, केवल नौ अन्य पिछड़े वर्गों के थे; कोई भी अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों से संबंधित नहीं था, जिसका अर्थ था कि, नौ उम्मीदवारों के अलावा, विशेष श्रेणियों के तहत बाकी सभी सामान्य/गैर–आरक्षित श्रेणी से थे; 112 विशेष आरक्षण उम्मीदवारों में से 110 को केवल सामान्य श्रेणी में समायोजित किया गया था।

ओ. बी. सी., एस. सी. या एस. टी. श्रेणी में कोई नहीं; प्रभारी अधिकारियों ने पहले विशेष श्रेणी आरक्षण को भरा था; 112 उम्मीदवारों में से 101 ''अनारक्षित श्रेणी'' के कहे जा सकते थे, जबकि नौ उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्गों के थे; क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नौ उम्मीदवारों ने सामान्य उम्मीदवारों के साथ समान अंक प्राप्त किए थे, और सामान्य श्रेणी में योग्यता के आधार पर चुने गए थे, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में माना गया थाय परिणाम यह था कि विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षित 112 सीटों में से 110 सीटों को खुली प्रतियोगिता (ओ. सी. ) श्रेणी से हटा दिया गया था, इस प्रकार सामान्य उम्मीदवारों यानी, ओ. सी. उम्मीदवार जो किसी विशेष आरक्षण से संबंधित नहीं थे, के लिए केवल 263 सीटें बची थीं; और यह भरने की यह विधि थी जिसे रिट याचिका में चुनौती दी गई थी।

22. **अनिल कुमार गुप्ता'** में याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह की गई दलीलें दो थीं; (i) विशेष आरक्षण सीटों को सामाजिक, यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणियों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित और आवंटित किया जाना चाहिए; यदि ऐसा किया जाता, तो विशेष आरक्षण श्रेणियों से संबंधित केवल 56 उम्मीदवारों को ओसी श्रेणी में समायोजित किया जा सकता था; लेकिन प्रतिवादीओं ने ओसी श्रेणी में 110 विशेष आरक्षण उम्मीदवारों को समायोजित किया था, जो कि 54 सीटों से अधिक था; और इन 54 सीटों को विशेष आरक्षण श्रेणियों से हटा दिया जाना चाहिए और ओसी उम्मीदवारों को आवंटित किया जाना चाहिए, जो किसी भी विशेष आरक्षण श्रेणी से संबंधित नहीं हैं; और (ii) रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान रूप से अवैध थी, जिसके परिणामस्वरूप ओसी श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटों में कमी आई थी। पहले तर्क के संबंध में, प्रतिवादीगण ने तर्क देना था कि विशेष श्रेणियों (विशेष आरक्षण) के पक्ष में पंद्रह प्रतिशत आरक्षण एक समग्र आरक्षण था, न कि एक विभाजित आरक्षण; इन विशेष आरक्षण को ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण श्रेणियों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित नहीं किया गया था; और इन विशेष आरक्षण उम्मीदवारों को कुल सीटों (यानी 112 सीटें) का पंद्रह प्रतिशत प्रदान किया जाना था। कुल मिलाकर, चाहे

उन्हें किसी भी सामाजिक/ऊर्ध्वाधर आरक्षण के खिलाफ या अन्यथा समायोजित करना हेा। यह इस संदर्भ में है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः

''.....हम इन दोनों अभिव्यक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं।जहाँ क्षैतिज आरक्षण के लिए आरक्षित सीटें आनुपातिक रूप से ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षणों के बीच विभाजित की जाती हैं और अंतर–हस्तांतरणीय नहीं होती हैं, यह विभाजित आरक्षण का मामला होगा। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैंः इसी मामले को लीजिए; कुल 746 सीटों में से 112 सीटें (पंद्रह प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली) विशेष आरक्षण उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी चाहिए; साथ ही, अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सामाजिक आरक्षण 27 प्रतिशत है जिसका अर्थ है O.B.Cs के लिए 201 सीटें। यदि 112 विशेष आरक्षण सीटों को भी O.C., O.B.C., S.C. और S.T. के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है, तो 30 सीटें O.B.C. को आवंटित की जाएंगी। दूसरे शब्दों में, तीस विशेष श्रेणी के छात्रों को O.B.C. में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन O.B.C. श्रेणी से संबंधित केवल दस विशेष आरक्षण उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो इन दस उम्मीदवारों को, निश्चित रूप से, O.B.C. कोटा के बीच आवंटित किया जाएगा। लेकिन शेष बीस सीटों को O.C. श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। (वे केवल O.B.C. उम्मीदवार के लिए उपलब्ध होंगे।) या किसी अन्य श्रेणी के लिए; ऐसा होगा कि क्या O.C. में आवश्यक संख्या में विशेष आरक्षण उम्मीदवार (373 में से 56) उपलब्ध हैं या नहीं; विशेष आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्गों (O.C., O.B.C., S.C. और S.T.) में ही होगा। इसके विपरीत, समग्र आरक्षण में जो होता है वह यह है कि विशेष आरक्षण के छात्रों को उनकी संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणी में आवंटित करते समय, विशेष आरक्षण श्रेणियों के पक्ष में समग्र आरक्षण का सम्मान किया जाना है। इसका मतलब है कि उपरोक्त चित्रण में, शेष बीस सीटों को O.C. श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जिसका अर्थ है कि O.C. श्रेणी में विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की संख्या 56+20 = 76 होगी। इसके अलावा, यदि S.C. और S.T. से संबंधित कोई विशेष आरक्षण उम्मीदवार नहीं है। तब S.C. और S.T. में विशेष आरक्षण उम्मीदवारों के लिए आनुपातिक संख्या उपलब्ध सीटें O.C. श्रेणी में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। परिणाम यह होगा कि 102 विशेष आरक्षण उम्मीदवारों को112 के अपने कोटे को पूरा करने के लिए O.C. श्रेणी में समायोजित करना होगा। इसके विपरीत भी हो सकता है, जो आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को प्रभावित करेगा। यह निश्चित रूप से,

यह स्पष्ट है कि O.C., O.B.C., S.C. और S.T. के बीच अंतर–कोटा बदला नहीं जाएगा.....

..... ''अब, सीटों को भरने के लिए संशोधित अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की शुद्धता पर आते हुए, पंद्रह प्रतिशत विशेष आरक्षण सीटों को पहले भरने और फिर O.C. लेने (योग्यता) कोटा (उसके बाद O.B.C., S.C. और S.T. कोटा)को भरना का निर्देश देना गलत था। उचित और सही तरीका यह है कि पहले O.C. कोटा (50 प्रतिशत) को योग्यता के आधार पर भरा जाए; फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा, यानि O.B.C., S.C. और S.T. को भरें। तीसरा कदम यह पता लगाना होगा कि उपरोक्त आधार पर विशेष आरक्षण से संबंधित कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही संतुष्ट है–यदि यह एक समग्र क्षैतिज आरक्षण है–तो आगे कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन यदि यह इतना भरा नहीं है, तो विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को लेना होगा और उनसे संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को हटाकर समायोजित करना होगा, (हालाँकि, यदि यह विभाजित क्षैतिज आरक्षण का मामला है, तो ऊपर बताए गए सत्यापन और समायोजन की प्रक्रिया प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण के लिए अलग से लागू की जानी चाहिए। ऐसे मामले में, विशेष श्रेणियों के पक्ष में पंद्रह प्रतिशत का आरक्षण, कुल मिलाकर, संतुष्ट हो सकता है या संतुष्ट नहीं हो सकता है)। क्योंकि संशोधित अधिसूचना ने सीटों को भरने के एक अलग तरीके के लिए प्रावधान किया है, इसने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आंशिक रूप से योगदान दिया है जहां लगभग पूरे विशेष आरक्षण कोटे को आवंटित किया गया है और विशेष रूप से O.C. कोटा के खिलाफ समायोजित किया गया है।

इस संबंध में, हमें यह दोहराना चाहिए कि इस न्यायालय ने **इंदिरा साहनी**[11] में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि जिसे ''क्षैतिज आरक्षण'' कहा जा सकता है, अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत प्रदान किया जा सकता है, बहुमत के निर्णय ने पैरा 744 में निम्नलिखित सावधानी बरतीः

''(ख) एक ही समय में, एक बात स्पष्ट है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति में है–और सभी और विभिन्न कारणों से नहीं–कि खंड (1) के तहत किसी भी प्रकार के अन्य आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, यदि आह्वान किया जाता है, तो राज्य को संतुष्ट करना होगा कि विशिष्ट स्थिति के निवारण के लिए ऐसा प्रावधान करना (जनहित में) आवश्यक था। खंड (4) की उपस्थिति को विशेष उपचार के योग्य और वर्ग बनाने की प्रवृत्ति पर एक बाधा के रूप में कार्य करना चाहिए। ऐसा कहने का कारण बहुत सरल है। यदि खंड (4) के साथ–साथ (1) दोनों के तहत आरक्षण किया जाता है, तो मुक्त प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ आरक्षित श्रेणियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को तदनुसार समाप्त कर दिया जाएगा और ऐसा करना उचित नहीं है।

यद्यपि उक्त टिप्पणियां अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) के संदर्भ में की गई थीं, लेकिन वे अनुच्छेद 15 के खंड (1) और (4) पर भी समान रूप से लागू होती हैं। इस मामले में विशेष श्रेणियों के लिए पंद्रह प्रतिशत सीटों का आरक्षण बहुत अधिक था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पंद्रह प्रतिशत में से छह प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली दो श्रेणियां वास्तव में अनुच्छेद 15 (4) के तहत आरक्षण हैं, जिन्हें गलत तरीके से अनुच्छेद 15 (1) के तहत आरक्षण माना जाता है। अन्यथा विशेष आरक्षण नौ प्रतिशत होगा। प्रतिवादी को अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी कि वे इस न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी को ध्यान में रखें और यह सुनिश्चित करें कि विशेष आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) को कम से कम रखा जाए।'' **(जोर दिया गया)**

23. **अनिल कुमार गुप्ता व अन्य**[7] में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि, जहां क्षैतिज रूप से आरक्षित सीटें ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षणों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित हैं, और अंतर–हस्तांतरणीय नहीं हैं, यह विभाजक आरक्षण का मामला होगा; विशेष आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्गों (O.C. O.B.C., S.C. और S.T.) में प्रतिबंधित होगा।; इसके विपरीत, समग्र आरक्षण में क्या होगा कि, सामाजिक आरक्षण श्रेणी को उनकी संबंधित विशेष आरक्षण सीटें आवंटित करते समय, विशेष आरक्षण श्रेणियों के पक्ष में समग्र आरक्षण प्रदान किया जाना था। O.C. O.B.C., S.C. और S.T. के बीच का कोटा बदला नहीं जाना चाहिए ; पंद्रह प्रतिशत विशेष आरक्षण सीटों को पहले भरने और फिर O.C.(योग्यता) को बाद में भरने (उसके बाद O.B.C., S.C. और S.T. कोटा को भरना) का निर्देश देना गलत था; उचित और सही तरीका था कि पहले O.C.कोटा (50 प्रतिशत) को योग्यता के आधार पर भरा जाए; फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा, यानि, O.C., S.C., S.T. को भरें; तीसरा कदम यह पता लगाना होगा कि उपरोक्त आधार पर विशेष आरक्षण से संबंधित कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है; यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही भरा हुआ है, यदि यह एक समग्र क्षैतिज आरक्षण है, तो आगे कोई सवाल नहीं उठा; लेकिन, यदि यह इतना भरा नहीं था, तो विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या को लिया जाना चाहिए और उनसे संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के लिए समायोजित किया जाना चाहिए।

यदि खंडीय क्षैतिज आरक्षण का मामला था, तो सत्यापन और समायोजन की प्रक्रिया प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर अलग से लागू की जानी चाहिए; और, ऐसे मामले में, विशेष श्रेणियों के पक्ष में पंद्रह प्रतिशत का आरक्षण, कुल मिलाकर, संतुष्ट हो सकता है या नहीं।

24. **राजेश कुमार दरिया**[9] में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि महिला उम्मीदवारों का चयन उनके आरक्षण कोटे से अधिक किया गया था; हालांकि महिला श्रेणी–वार के लिए 20 प्रतिशत के क्षैतिज आरक्षण के लिए नियमों का प्रावधान किया गया था, लोक सेवा आयोग ने गलत तरीके से ऊर्ध्वाधर आरक्षण के सिद्धांतों को लागू किया था, और आरक्षण से अधिक महिलाओं का चयन किया था, जिससे अपीलकर्ताओं और अन्य पुरुष उम्मीदवारों के चयन से वंचित किया गया था, जबकि उन्होंने चयनित महिला उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, और महिला उम्मीदवारों के पक्ष में प्रदान किए गए अतिरिक्त आरक्षण न होने पर उनका चयन किया जाता।

25. **इंदिरा साहनी**[11] और **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में अपने पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद, सर्वोच्च न्यायालयद्वारा प्रतिपादित किया गया कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के विपरीत, जहां अनुसूचित जातियों के सदस्य अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों में, अनुसूचित जातियों के एक सदस्य को छोड़कर जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की थी, आरक्षण के हकदार होंगे, ऐसा सिद्धांत क्षैतिज आरक्षण के मामले में लागू नहीं होगाय और, यदि महिला श्रेणी के लिए आरक्षित कोटा अपनी योग्यता के आधार पर पर्याप्त महिलाओं की नियुक्ति के आधार पर पूरा किया जाता है, तो योग्यता में कम महिलाएं क्षैतिज आरक्षण के लाभ की हकदार नहीं होंगी। उच्चतम न्यायालय ने इसके बाद टिप्पणी कीः–

..... ''..दूसरा ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच के अंतर से संबंधित है। अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सामाजिक आरक्षण ''ऊर्ध्वाधर आरक्षण'' हैं। अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण ''क्षैतिज आरक्षण'' हैं। जहां अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है, ऐसे पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवार

वर्ग, गैर–आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर–आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या को संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के लिये नहीं गिना जाएगा। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता से, प्रतियोगिता रिक्तियों को खोलने के लिए चुने जाते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भरा गया है। खुला प्रतिस्पर्धा श्रेणी के तहत चुने गए लोगों के अलावा पूरा आरक्षण कोटा बरकरार और उपलब्ध होगा। (इंद्र साहनीः(1992) सप.(3) SCC 217, आर0के0सभरवाल बनाम पंजाब राज्यः(1995) 2 एस. सी. सी. 745, भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहानः1995 (6) SCC 684 और रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई0एल0 यमुलः(1996) 3 एससीसी 253)। लेकिन ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण पर लागू उपरोक्त सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा। जहां अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है, वहां उचित प्रक्रिया है कि योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा भरा जाये और फिर उन उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाई जाए जो ''अनुसूचित जाति महिलाओं'' के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल अगर कोई कमी है, तो अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को सूची के निचले भाग से हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवश्यक संख्या लेनी होगी। इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिये गिना जाएगा। आइए हम एक उदाहरण से समझाते हैंः

यदि 19 पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं (जिनमें से महिलाओं के लिए कोटा चार है), तो सफल योग्य उम्मीदवारों में से 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार पहले सूचीबद्ध करना होगा। यदि 19 उम्मीदवारों की ऐसी सूची में चार अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार हैं, तो किसी भी अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवार को शामिल करके सूची में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, यदि 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सूची में केवल दो महिला उम्मीदवार हैं, तो योग्यता के अनुसार अगले दो अनुसूचित जाति महिला उम्मीदवारों को सूची में शामिल करना होगा और ऐसी सूची के नीचे के क्रम से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतिम 19 चयनित अनुसूचित जाति उम्मीदवारों में चार महिला अनुसूचित जाति उम्मीदवार हों। (लेकिन अगर 19 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों की सूची में चार से अधिक महिला उम्मीदवार हैं, जिनका चयन अपनी योग्यता के आधार पर किया हलं है, तो वे सभी सूची में बने रहेंगे और इस आधार पर अतिरिक्त महिला उम्मीदवारों को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है कि ''अनुसूचित जाति महिलाओं'' का चयन चार के निर्धारित आंतरिक कोटे से अधिक किया गया है।)

इस मामले में, सामान्य श्रेणी (खुली प्रतियोगिता) के तहत चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 59 थी, जिनमें से 11 महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए थे। जब 261 सफल उम्मीदवारों में से पहले 59 को लिया गया और योग्यता के अनुसार सूचीबद्ध किया गया, तो इसमें 11 महिला उम्मीदवार थीं, जो ''सामान्य श्रेणी की महिलाओं'' के लिए कोटा के बराबर थी। इस प्रकार महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण के तहत महिला उम्मीदवारों के आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आरपीएससी ने योग्यता के क्रम में केवल पहले 48 उम्मीदवारों को लिया (जिसमें 11 महिलाएं थीं) और उसके बाद, सामान्य श्रेणी के तहत अगले 11 पदों को महिला उम्मीदवारों से भरा। परिणामस्वरूप, हम पाते हैं कि 59 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में से सभी 22 महिलाओं का चयन किया गया है, जिसमें ग्यारह महिला उम्मीदवार हैं जिनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया गया है। (चयन सूची के 2,3,4,5,9,19,21,25,31,35 और 41) और अन्य ग्यारह (क्र. सं. नं. 54, 61, 62, 63, 66, 74, 75, 77, 78, 79 और 80) को ''सामान्य श्रेणी की महिलाओं'' के लिए आरक्षण कोटे के तहत शामिल किया गया है। यह स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। आर. पी. एस. सी. द्वारा किए गए चयन की प्रक्रिया महिलाओं के लिए 20प्रतिशत आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में मानने के बराबर है, न कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर क्षैतिज आरक्षण के रूप में।

इसी तरह, हम पाते हैं कि ओ. बी. सी. के लिए 24 पदों के संबंध में, आर. पी. एस. सी. द्वारा ओ. बी. सी. उम्मीदवारों में से योग्यता के अनुसार 19 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिसमें तीन महिला उम्मीदवार शामिल थीं। इसके बाद, केवल दो महिलाओं को जोड़ने के बजाय ''ओ. बी. सी. महिलाओं'' की श्रेणी के तहत पांच अन्य महिलाओं का चयन किया गया, जो कि मा कमी थी। इस प्रकार चयन सूची में पाए गए 24 ओ. बी. सी. उम्मीदवारों में 8 महिला उम्मीदवार थीं। उचित प्रक्रिया के अनुसार योग्यता के क्रम में 24 ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करना था और फिर उनमें से महिला उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाना था, और केवल महिलाओं के लिए पांच के कोटे को पूरा करने के लिए कमी को भरना था। (जोर दिया गया)

26. **राजेश कुमार दरिया**[3] में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि यह है कि जहां अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए विशेष (क्षैतिज) आरक्षण प्रदान किया जाता है, वहां उचित प्रक्रिया है कि योग्यता के क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण भरें, और फिर उनमें से उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाएं जो ''अनुसूचित जाति महिलाओं'' के विशेष (क्षैतिज) आरक्षण समूह से संबंधित हैंय यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष (क्षैतिज) आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष (क्षैतिज) आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है; केवल तभी जब कोई कमी हो

अनुसूचित जाति से संबंधित सूची के निचले भाग से उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को हटाकर अनुसूचित जाति की महिलाओं की आवश्यक संख्या को लिया जाना चाहिएय इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है; और ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिये गिना जाएगा।

27. **ममता बिष्ट**[5] में, आयोग ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों आरक्षण प्रदान करते हुए सिविल जज, (जूनियर डिवीजन) के 35 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन जारी किया था। हालांकि 42 पद भरे गए थे। भरे गए 42 पदों में से 26 सामान्य श्रेणी से और 16 आरक्षित श्रेणी से भरे गए थे। उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि योग्यता के क्रम में उच्चतर महिला उम्मीदवारों का चयन सामान्य श्रेणी में किया जाना चाहिए था, जिसमें महिलाओं के पक्ष में आरक्षित पद उनके लिए उपलब्ध होते, हालांकि वह योग्यता के क्रम में उन अन्य महिलाओं की तुलना में कम थीं जिन्हें उत्तराखंड की महिलाओं के पक्ष में निर्धारित पदों के लिए चुना और नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अंतिम चयनित उम्मीदवार ने अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणी में रिक्ति के लिये नियुक्त किया जाना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर स्वीकार किया कि क्षैतिज आरक्षण को भी आरक्षित श्रेणी के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में लागू किया जाना है और क्षैतिज आरक्षण क लागू किये जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण **राजेश कुमार दरिया**[3] में निर्धारित कानून के विपरीत था।

28. **ममता बिष्ट**[5] में निर्धारित कानून यह है कि क्षैतिज आरक्षण को आरक्षित श्रेणियों के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है और योग्यता के आदेश में उच्च महिला उम्मीदवारों (जिनके पक्ष में क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है और जिन्हें सामान्य श्रेणी में चुना गया है) को सामान्य श्रेणी में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों की संख्या की गणना करने में शामिल होने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

29. **राजीव कुमार**[6] में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजेश कुमार दरिया**[3] और **अनिल कुमार गुप्ता**[7] उम निर्धारित कानून का पालन करते हुए कहा कि क्षैतिज आरक्षण के लिए, ऊर्ध्वाधर आरक्षण के अनुसार चुने गए उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणियों उम रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण श्रेणी–वार दिया जाएगा; किसी विशेष श्रेणी उम महिला श्रेणी के उम्मीदवारों का 20 प्रतिशत का कोटा पदों की कुल संख्या को जोड़कर नहीं बढ़ाया जा सकता है; केवल अगर कोई कमी है, तो आरक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवारों की आवश्यक संख्या को ऐसी श्रेणी से संबंधित सूची के निचले हिस्से से उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को हटाकर लेना होगाय नियम प्रतिवादी–राज्य सरकार को आरक्षण का लाभ संबंधित श्रेणी में महिलाओं के विशष आरक्षण के रूप में 20 प्रतिशत से अधिक विस्तार करने की अनुमति नही देते है। यह उस क्षैतिज आरक्षण को पूरा करने के लिये जिनके लिये अन्य श्रेणी में उम्मीदवार उपलबध नही है उन महिलाओं को चयनित करने का जरिया नहीं हो सकता है, जो योग्यता क्रम में कम हैं( चूंकि प्रस्तुत मामले में क्षेतिज आरक्षण खंडीय है, महिला श्रेणी उम्मीदवारों को 20 प्रतिशत से अधिक की संख्या में नही लिया जा सकता है( यदि महिला श्रेणी उम्मीदवार पुरूष श्रेणी उम्मीदवारों से अधिक योग्यता की हैं, तो वे अपनी श्रेणी में योग्यता के अनुसार समायोजित होने की अधिकारी होगी( लेकिन उनकी योग्यता पुरूष श्रेणी उम्मीदवारों की योग्यता से अधिक होनी चाहिये( महिला, पुरूषों के साथ बाकी 80 प्रतिशत पदों पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, परन्तु अन्य श्रेणियों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के पदों को भरने हेतु नही( महिला श्रेणी उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व हेतु प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 20 प्रतिशत की हद तक बराबर बंटा होना चाहिये( जहां, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा कहा गया, इस प्रकार चयन रखा गया,

यह अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत से अधिक अन्य श्रेणियों के क्षैतिज स्थान के हस्तांतरण के बराबर होगा, जो विज्ञापन के नियमों और शर्तों के विपरीत होगा जो समग्र क्षैतिज आरक्षण को लागू करने की अनुमति नहीं देता था; विज्ञापन में स्पष्ट रूप से क्षैतिज आरक्षण श्रेणी–वार के लिए प्रावधान किया गया था; और अधिसूचना में गणना अस्थिर थी।

30. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (अपील करने के लिए विशेष अनुमति (सिविल) सं. 32344/2010) के उपरोक्त खण्ड पीठ के फैसले के खिलाफ दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12.07.2013 के आदेश द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार था और आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप का आधार नहीं था।

31. **राजेश कुमार दरिया**[3] और **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून का पालन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा **राजीव कुमार**[6] में किया गया और उसके बाद **उ0 प्र0 राज्य बनाम राजीव कुमार**[6] में दायर की गई एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में निर्णय के अनुसार था।

32. **उ0प्र0 राज्य बनाम आशीष कुमार पांडे और अन्य**[14] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांतों के गलत अनुप्रयोग के कारण, योग्यता सूची पूरी तरह से गलत हो गई थी। खण्ड पीठ ने टिप्पणी की:

''... क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय, श्रेणी की एक भूमिका होती है क्योंकि क्षैतिज आरक्षण को लागू किये जाने के समय, फिर सम्बंधित योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को उनकी सम्बंधित श्रेणी में समायोजित किया जाना है और पुरुष उम्मीदवार, जो योग्यता के अनुसार सूची में सबसे नीचे हैं, उन्हें महिला उम्मीदवार के लिए जगह बनानी होगी। एक उम्मीदवार, जो ओ. बी. सी./एस. सी./एस. टी. श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण के उद्देश्यों के लिए आवेदन कर रहा है, उसे अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि ऊर्ध्वाधर आरक्षण

एक बार योग्यता के आधार पर आपके चयन के बाद, इस तरह के परिवर्तन की अनुमति विधिक रूप से दी जाती है और एक बार ऐसी तथ्यात्मक स्थिति उत्पन्न होने पर सभी उम्मीदवारों को एक बार विशेष आरक्षण के संदर्भ में अपनी श्रेणी निर्दिष्ट करने के बाद, उन्हें अपनी संबंधित श्रेणियों में समायोजित करना होगा और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यह दावा करके खुली श्रेणी के लिये नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते हैं कि उनके पास उच्च योग्यता है, क्योंकि केवल ऊर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में, योग्यता की भूमिका होती है जिसमें सूची को अंतिम रूप दिया जाता है, लेकिन जब क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए समायोजन किया जाना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित सूत्र के अनुसार विभिन्न समायोजन किए जाने की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि इस तरह के प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और तदनुसार, उदाहरण देकर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की गई थी और फिर यह प्रावधान किया गया था कि यदि क्षैतिज आरक्षण पूर्ण नहीं होता है, तो विशेष आरक्षण उम्मीदवार की आवश्यक संख्या को लिया जाना चाहिए और उनकी संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के लिये समायोजित किया जाना चाहिए। उ0प्र0 अधिनियम संख्या.4 1993 की धारा 3 की उप–धारा (3) तदनुसार क्षैतिज आरक्षण लागू करने का प्रावधान करता है, इस निर्धारित तरीके से क्षैतिज आरक्षण सेवा में उनके प्रतिनिधित्व के साथ विशेष आरक्षण कोटा उम्मीदवार की योग्यता को बनाए रखता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश उस समय आत्यन्तिक रूप सही है जब उन्होंने ऐसा रुख अपनाने के लिए और एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए जो कानून में आत्यन्तिक रूप भी निर्धारित नहीं थी और इस प्रकार 50 प्रतिशत की आरक्षण की सीमा को पार कर गई थी, राज्य सरकार की आलोचना की है. इसे देखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश मामले के इस पहलू पर हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।261 महिला उम्मीदवारों का श्रेणीवार सामाजिक विवरण इस प्रकार हैः

1. खुला वर्गः699 (योग्यता के आधार परचयनित)=78य

2. ओ. बी. सी. वर्गः16310 (योग्यता के आधार परचयनित) = 173

3.एससी = 10

4. एसटी = नील

खुली श्रेणी में 78 महिला उम्मीदवारों को समायोजित किया जाना था, 9 पहले से ही चयन सूची में थीं, इसलिए 69 महिला उम्मीदवारों को खुली श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता थी। इसी तरह, ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित 173 महिला उम्मीदवार उपलब्ध थीं, जिनमें से 10 महिला उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया था, इसलिए, 169 शेष महिला उम्मीदवारों को ओ. बी. सी. श्रेणी में पुरूष अभ्यथियों की संख्या कम करके समायोजित किया जाना था।इसी तरह अनुसूचित जाति श्रेणी की 10 महिलाओं को अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत समायोजित किया जाना था।

ऐसी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करना किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य अपीलकर्ता को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, उन्होंने ऊपर उल्लिखित निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा निर्दिष्ट और जैसा कि दिनांक 17.12. 1994, 25.02.1999 और 09.02.2007 के सरकारी आदेश में समझा गया ज्ञात मार्ग को छोड़ दिया है और ऐसे मार्ग का अक्षरशः पालन करना करने का विकल्प चुना है जो क्षैतिज आरक्षण के लागू किये जाने के मामले में बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं है। श्रीमती मेधा शेट्टी राजस्थान राज्य सिविल विशेष अपील (डब्ल्यू) संख्या. 170/ 2013 के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षैतिज आरक्षण पर दिये गये पूर्व निर्णय और समय–समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा रहा है, जैसा कि राज्य द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देश क्षैतिज आरक्षण और वैधानिक प्रावधान की भावना और समय–समय पर जारी किए गए सरकारी आदेश के मामले में किए जाने वाले समायोजन से निपटने के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुरूप हैं।

33. **उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आशीष कुमार पांडे**[14], में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा प्रतिपादित किया गया कि क्षैतिज आरक्षण के सिद्धांत को लागू करते समय, श्रेणी को उस समय के रूप में भूमिका निभानी होती है जब क्षैतिज आरक्षण को लागू किया जाना है; फिर योग्यता के आधार पर, विचाराधीन उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाना है और पुरुष उम्मीदवारों, जो योग्यता के अनुसार सूची में सबसे नीचे हैं, को महिला उम्मीदवारों के लिए जगह बनानी होगी; एक उम्मीदवार, जिसने ओ. बी. सी./एस. सी./एस. टी. श्रेणी के तहत क्षैतिज आरक्षण के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया है, उसे अपनी श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि ऊर्ध्वाधर आरक्षण में एक बार जब आप योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं, तो कानून द्वारा इस सम्बंधित के परिवर्तन की अनुमति है; सभी उम्मीदवार, एक बार जब वे योग्यता के संदर्भ में अपनी श्रेणी निर्दिष्ट कर लेते हैं, उन्हें अपनी संबंधित श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिये। और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार यह दावा करके खुली श्रेणी के लिये नियुक्ति की मांग नहीं कर सकते हैं कि उनके पास उच्च योग्यता है, क्योंकि केवल ऊर्ध्वाधर आरक्षण के मामले में, योग्यता की भूमिका होती है जिसमें सूची को अंतिम रूप दिया जाता है, लेकिन जब क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के लिए समायोजन किया जाना होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में अनुमोदित सूत्र के अनुसार विभिन्न समायोजन किए जाने की आवश्यकता होती है।

क्षैतिज आरक्षण के मामले में, उपयुक्त श्रेणियों में उचित नियुक्ति करके समायोजन किया जाएगा; ऐसी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करना किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य को ज्ञात कारणों से, उन्होंने **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा निर्दिष्ट ज्ञात मार्ग को छोड़ दिया था; और एक ऐसे मार्ग का अक्षरशः पालन करना करने का विकल्प चुना था जो क्षैतिज आरक्षण के आवेदन के मामले में अभिदान नहीं किया गया था।

34. **राजीव कुमार**[8] में खण्ड पीठ के फैसले की शुद्धता पर संदेह होने पर, मामले को **अजय कुमार**[10] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ को भेजा गया, जिसमें पूर्ण पीठ ने कहाः

''.....राजीव कुमार बनाम यू0 पी0 राज्य2010 (7) एडीजे 608, यह देखते हुए कि उ0प्र0 में महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, शारीरिक रूप से विकलांगों पूर्व सैनिक जैसे विभिन्न समूहों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण को लागू करने के लिए तंत्र अपनाने के मामले में कई विपरीत निर्णय हैं। खण्ड पीठ ने रेफरल आदेश में देखा है कि राजीव कुमार (उपरोक्त) में यह अवधारित गया है कि ''महिलाओं के लिए आरक्षण को महिला श्रेणी के उम्मीदवारों के अभिवेदन के लिए प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम 20 प्रतिशत की सीमा तक समान रूप से फैलाया जाना चाहिए''। अनिल कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में टिप्पणियों पर ध्यान दें देते हुए। जैसा कि राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य :1995 (5) एस. सी. सी. 173 में उल्लेख किया गया हैः, और उसमें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण को श्रेणीवार दिया जाना चाहिए। जबकि, शिव शंकर सिंह बनाम लोक सेवा आयोग :1996 AWC 1501 में खण्ड पीठ ने पूर्व सैनिकों के क्षैतिज आरक्षण के आवेदन की विधि पर विचार करते हुए लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण) अधिनियम '1993(इसके बाद अधिनियम' 1993 के रूप में संदर्भित) के तहत 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ :1997 (1) ए. डब्ल्यू. सी. 84, में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः–

''अनुच्छेद 16 (1) अनुच्छेद 16 (4) मे विचार और इसके तहत आरक्षण का आधार अलग है, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को पूर्व सैनिकों की जातियों के आधार पर वितरित, विभाजित या आवंटित नहीं किया जा सकता है। पूर्व सैनिको हेतु आरक्षित रिक्तियों को विभाजित करना

और उन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और सामान्य उम्मीदवारों को आवंटित करना अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अपने आरक्षित कोटे के खिलाफ आवेदन करने वाले सभी पूर्व सैनिकों को एक ही वर्ग के व्यक्तियों के रूप में माना जाना चाहिए और उन सभी के लिये योग्यता के आधार पर सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति/वर्ग से संबंधित हों। इसलिए याचिकाकर्ता का दावा पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित तीनों रिक्तियों के लिये योग्यता के आधार पर विचार किये जाने योग्य है।

35. इसके बाद पूर्ण पीठ ने कहाः

''फिर भी, इस मामले का एक और पहलू यह है कि एक वर्ग के रूप में महिलाओं में सभी सामाजिक आरक्षित श्रेणियों की महिलाएं शामिल हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सामाजिक रूप से आरक्षित श्रेणियों(S.C., S.T. & O.B.C.) की महिलाएं मुक्त श्रेणी की महिलाओं की तुलना में समाज के कम लाभान्वित समूह से संबंधित हैं। यदि प्रत्येक सामाजिक आरक्षित श्रेणी से रिक्तियों में कमी आती है, तो शॉर्ट फॉल या कम्पार्टमेंटलाइजेशन के आनुपातिक विभाजन की विधि को अपनाते हुए, सामाजिक रूप से आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को, जो महिलाओं की अंतर–योग्यता सूची में बहुत नीचे हो सकती हैं, चयन का मौका मिलेगा।

सवाल यह है कि ये किया कैसे जाना है? कम्पार्टमेंटलाइजेशन विधि के तहत कमी को भरने के लिए आरक्षण को लागू किस प्रकार किया जाये।

हमारा समाधान यह है कि एक योग्यता सूची के बजाय, यदि चार सामाजिक आरक्षित श्रेणियों (मुक्त, अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग) की महिलाओं को अलग–अलग रखकर, समायोजन/नियुक्ति की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 'कुल मिलाकर' कम है, चयन एजेंसी को कमी को भरने के लिए उपरोक्त सूचियों की ओर रुख करना होगा। फिर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, चयन के पहले दो चरणों में तैयार की गई प्रत्येक सामाजिक श्रेणी (S.C., S.T., OBC और ओपन) सूची में महिलाओं के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को देखना होगा। यदि पहले चरण में तैयार की गई खुली श्रेणी की सूची में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत तक किया जाता है, तो कमी को भरने के लिए उनके पुरुष समकक्ष के समायोजन या विस्थापन का कोई और सवाल नहीं होगा। इसी तरह, चयन के दूसरे चरण में तैयार की गई ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. की सूची में, जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत (उनके आरक्षण के प्रतिशत के अनुपात में) से कम है, नियुक्ति/समायोजन उस सीमा तक किया जा सकता है। उस मामले में कमी को ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाना चाहिए।

अर्थात मुक्त श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत, S.C. के लिए 21 प्रतिशत , प्रतिशत O.B.C. के लिए 27 प्रतिशत और S.T. के लिए 2 प्रतिशत (कुल 50 प्रतिशत)। लेकिन किसी भी मामले में, उक्त पद्धति से भी ''समग्र'' समायोजन चयन के लिए अधिसूचित कुल सीटों के 20 प्रतिशत की सीमा तक महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से अधिक नहीं हो सकता है अर्थात इस तरह के समायोजन/प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 20 प्रतिशत की सीमा का भंग नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रश्न केवल कमी को भरने के लिए होगा।

हम इस बात से अवगत हैं कि एक ऐसा मामला हो सकता है जहां किसी भी एक या दो सामाजिक श्रेणियों यानी एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. और मुक्त श्रेणी में, एक विशेष चयन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त करना संभव नहीं है। और कम्पार्टमेंटलाइज्ड तरीके से शेष सीटों को दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले में विशेष आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणियों (ओपन, ओ. बी. सी., एस. सी. और एस0टी0) में होगा। और महिलाओं के पक्ष में कुल सीटों के 20 प्रतिशत के ''समग्र'' आरक्षण किया जाना होगा। लेकिन हमारी राय में ऐसी स्थिति से महिलाओं (विशेष श्रेणी) के उम्मीदवारों पर ज्यादा फर्क या दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि महिला आरक्षण समानता के आधार पर राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए लैंगिक समानता के सिद्धांत पर आाधारित है। किसी चयन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त से अधिक हो सकता है क्योंकि वे योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करके पहले और दूसरे चरण में तैयार की गई योग्यता सूचियों में अपने पुरुष समकक्षों को विस्थापित करने के लिए एक स्वीप ले सकते हैं।

महिलाओं को सामाजिक श्रेणियों में वर्गीकृत करने में राज्य पर कोई संवैधानिक या कानूनी रोक नहीं है। बल्कि इस तरह का वर्गीकरण एक संतुलनकारी कार्य होगा जो दोनों लिंगों के हितों को संबोधित करेगा और ऐसी स्थिति को रोकेगा जहां एक विशेष सामाजिक श्रेणी की पूरी सूची को उस श्रेणी में महिलाओं को जगह देने के लिए मेधावी पुरुष उम्मीदवारों को विस्थापित करके प्रतिस्थापित किया जाता है। यदि महिलाओं की एक अंतर–योग्यता सूची तैयार करके कमी को भरने के लिए ''समग्र'' समायोजन विधि अपनाई जाती है, तो उनका प्रतिनिधित्व या समायोजन केवल एक सामाजिक श्रेणी में संभव हो सकता है। जबकि, यदि विभाजन (सामाजिक श्रेणी में सीटों का आनुपातिक विभाजन) विधि को अपनाया जाता है, तो सभी सामाजिक श्रेणियों की महिलाओं को चयन का उचित मौका मिलेगा, हालांकि महिलाओं की सामान्य अंतर–योग्यता में यह कम हो सकता है। इस प्रकार, कमी को भरने के लिए सामाजिक श्रेणियों में आनुपातिक रूप से आरक्षण लागू करने से योग्यता को न्यूनतम नुकसान होता है और महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण आर्थिक माध्यमों से महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के अनुरूप है और इससे आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के सामाजिक रूप से कम सशक्त समूह से संबंधित महिलाओं को भी चयन सूची में अपना स्थान बनाने के लिए मदद मिलेगी।

ऊपर किए गए विश्लेषण के लिए, ध्यान में रखते हुए महिला आरक्षण का उद्देश्य और उद्देश्य, हमारा मानना है कि सामाजिक आरक्षित श्रेणियों में 20 प्रतिशत की सीमा तक महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों (क्षैतिज आरक्षण श्रेणी) के विभाजन या आनुपातिक विभाजन की विधि सबसे पसंदीदा विधि है और इसे उ0प्र0 राज्य मेंसरकारी आदेश दिनांक 26.02.1999 की योजना के तहत सभी चयनों में एक नियम के रूप में समान रूप से लागू किया जाएगा।''

36. पूर्ण पीठ ने निष्कर्ष निकालाः

'' इस पीठ को संदर्भित किया गया उ0प्र0 राज्य में 26.02.1999 के सरकारी आदेश की योजना के तहत महिला आरक्षण के कार्यान्वयन के सवाल का हमारा जवाब इस प्रकार हैः– (i) अनिल कुमार गुप्ता(ऊपर) अनुच्छेद सं.'17' और '18' की टिप्पणियाँ का पालन किया जाता है और यह मानने के लिए दोहराया जाता है कि उ0प्र0 राज्य में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन की विधि ऊपर बताए गए तरीके से एक ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन'' होगा, ताकि भविष्य में किसी भी जटिलता और जटिल समस्याओं से बचा जा सके।

(ii) कम्पार्टमेंटलाइजेशन की विधि या महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों को ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) श्रेणियों के बीच विभाजित करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो अंतर–हस्तांतरणीय नहीं है, नियम होगा और कमी को भरने के अंतिम चरण में कार्यान्वयन की ''समग्र'' विधि अपवाद होगी, जिसे राज्य द्वारा एक सचेत निर्णय लेने के बाद, विज्ञापन में ही उक्त विधि के आवेदन के लिए अधिसूचित करके, ''समग्र'' होने के कारण, किसी विशेष चयन में लागू किया जा सकता है।

(iii) पहले और दूसरे चरणों में सामाजिक श्रेणियों की योग्यता सूचियों को तैयार करने का केवल एक ही तरीका होगा जो महिला उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सीटों की ''समग्र'' गणना है, (कुल रिक्तियों के 20 प्रतिशत तक), चाहे उनकी सामाजिक श्रेणियां कुछ भी हों। चयन में पुरुष उम्मीदवारों के विस्थापन से महिला आरक्षण को लागू करने का अवसर उक्त दो चरण समाप्त होने के बाद और यदि इसमें कमी आती है, तब ही उत्पन्न होगा । तदनुसार, बड़ी पीठ का संदर्भित तदनुसार उत्तरित किया जाता है।'' (जोर दिया गया)

37. **अजय कुमार**[10] के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा है कि सामाजिक आरक्षित श्रेणियों में 20 प्रतिशत की सीमा तक महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के विभाजन या आनुपातिक विभाजन (क्षैतिज आरक्षण श्रेणी) की विधि सबसे पसंदीदा विधि थी और इसे सभी चयनों में एक नियम के रूप में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए; **अनिल कुमार गुप्ता**[7] की टिप्पणियों का पालन किया गया और यह अभिनिर्धारित करने के लिए दोहराया गया कि राज्य में महिलाओं के पक्ष में क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन की विधि एक ''कम्पार्टमेंटलाइज्ड क्षैतिज आरक्षण'' होनी चाहिए; कम्पार्टमेंटलाइजेशन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि, महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों को ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) श्रेणियों जो अंतर हस्तांतरणीय नहीं हैं के बीच विभाजित करना एक नियम होना चाहिये; चयन में पुरुष उम्मीदवारों के विस्थापन से महिला आरक्षण को लागू करने का अवसर उक्त दो चरण समाप्त होने के बाद और यदि इसमें कमी आती है, तब ही उत्पन्न होगा ।

38. **राजीव कुमार**[9] और **आशीष कुमार पांडे**[9] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ और **अजय कुमार**[10] में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का पालन किया है।

39. **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में निर्धारित कानून यह है कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण के विपरीत, जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य, जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है, उन्हें बाहर रखा जाना आवश्यक है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षित पदों को भरने के लिए, एक वैध क्षैतिज आरक्षण की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा, यदि प्रत्येक श्रेणी में, क्षैतिज रूप से आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों का प्रतिशत भरा जाता है।इसमें विचार के लिए यह सवाल भी उठा कि क्या क्षैतिज रूप से आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कोटा को भरने की प्रक्रिया में, अपूर्ण क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में सीानांतरित किया जा सकता है।

40. **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में निर्धारित कानून को एक चित्रण के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि भरने के लिए 100 पद उपलब्ध हैं, जिनमें से 50 पद सामान्य श्रेणी के तहत हैं, अनुसूची जाति श्रेणी के तहत 20 पद, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत 20 पद और अनुसूची जनजाति श्रेणी के तहत 10 पद, और यदि 20 प्रतिशत समग्र आरक्षण महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है, यानी कुल 20 पदों के लिए, फिर सामान्य श्रेणी में पूरे 20 पदों को आरक्षित करने के परिणामस्वरूप इन 20 पदों को महिलाओं के बीच, केवल उनकी योग्यता के क्रम में भरा जाएगा, तो न केवल सामान्य श्रेणी के पुरुषों को बल्कि अनुसूची जाति, अनुसूची जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को भी इस आधार पर नियुक्ति से वंचित कर देगा कि वे अनारक्षित श्रेणी को महिलाओं की तुलना में कम मेधावी थीं; और यह सलाह दी गई थी कि क्षैतिज रूप से महिलाओं के पक्ष में आरक्षित 20प्रतिशत पद, प्रत्येक श्रेणी के बीच वितरित किए जाने चाहिए। उपरोक्त उदाहरण में, इसके लिए सामान्य श्रेणी के तहत महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से 10 पद, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों में महिलाओं के लिए 4–4 पद और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में महिलाओं के लिए दो पद आरक्षित करने की आवश्यकता होगी।

41. कठिनाई जो अभी भी उत्पन्न हो सकती है, वह यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पद, इन श्रेणियों में से प्रत्येक के तहत नियुक्ति के लिए योग्य पर्याप्त महिलाओं की अनुपलब्धता के कारण खाली रहते हैं। **अनिल कुमार गुप्ता**[7] में जिस प्रश्न पर विचार किया जाना था

वह था कि क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित निर्धारित 20 प्रतिशत कोटा पूरी तरह से भरा जाए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में इन क्षैतिज रूप से आरक्षित रिक्त पदों को उन महिला अभ्यथियों से भरने हेतु स्थानांतरित करने की अनुमति थी, जो इन ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षित श्रेणियों से किसी से भी संबंधित नहीं हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 प्रतिशत कोटा, क्षैतिज रूप से महिलाओं के पक्ष उम आरक्षित है, पूरी तरह से महिलाओं द्वारा भरा गया है। महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे को पूरा करने के लिए सामान्य श्रेणी में ऐसे पदों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (यद्यपि इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिलाएं हैं) के पक्ष में आरक्षित पद संबंधित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, और इसके बजाय इन श्रेणियों में से किसी से भी संबंधित नहीं महिलाओं द्वारा ले लिए जाएंगे, यानी ? महिलाएं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित नहीं हैं।

42. चूंकि स्थानांतरण की इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा, जो न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि इन पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए उपलब्ध पदों की संख्या को भी कम करेगा, इसलिए यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षित इन रिक्त पदों को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा, इन पिछड़े वर्गों के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा।

43. यह इस संदर्भ में है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में कुछ टिप्पणियां की गई थीं, जो **राजेश कुमार दरिया**[8] और **अनिल कुमार गुप्ता**[7] दोनों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करती थीं, कि क्षैतिज आरक्षण में, ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) श्रेणियों के बीच क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों को विभाजन हेतु compartmentalization की विधि का पालन गैर अंतर–हस्तांतरणीय के रूप में किया जाना चाहिए।

इसका मतलब यह नहीं है कि सामान्य श्रेणी में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद, पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और उक्त क्षैतिज श्रेणी से संबंधित अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अनुपलब्ध हैं। सामान्य श्रेणी में ये क्षैतिज रूप से आरक्षित पद उक्त क्षैतिज श्रेणी से संबंधित सभी उम्मीदवारों के लिए खुले हैं, जिन्हें उनकी अंतर–योग्यता के आधार पर भरा जाना है।

44. उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय में, जिसका यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया है कि सामान्य श्रेणी के पदों को उनकी जाति या सामाजिक स्थिति के बावजूद सभी योग्य उम्मीदवारों के बीच अंतर–योग्यता के माध्यम से भरा जा सकता है। मौजूदा मामले के तथ्यों के लिए, **राजेश कुमार दरिया**[5] में चित्रण को लागू करने के लिए, लोक सेवा आयोग को पहले सभी उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आदेश में सख्ती से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती। ऐसा करने पर, 818 अंक प्राप्त करने वाले अंतिम उम्मीदवार तक सामान्य श्रेणी के तहत एक योग्यता सूची तैयार की जानी चाहिए थी। आयोग को तब यह जांच करने की आवश्यकता थी कि क्या इनमें से कोई भी उम्मीदवार, जिसने 818 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, पूर्व सैनिक श्रेणी से संबंधित था, जिसके लिए एक पद सामान्य श्रेणी के तहत क्षैतिज रूप से आरक्षित था।यह पता चलने पर कि कोई नहीं था, आयोग को, उसके बाद, योग्यता सूची में सबसे कम मेधावी पूर्व सैनिक के साथ 818 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता थी, जो मौजूदा मामले में, 807 अंक प्राप्त करने वाले रिट याचिकाकर्ता थे। आयोग को 818 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रिट याचिकाकर्ता के साथ प्रतिस्थापित करना चाहिए था जो सबसे मेधावी पूर्व सैनिक था। इसके बजाय, आयोग ने 818 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चौथे प्रतिवादी–पुनर्विचार आवेदक के साथ प्रतिस्थापित किया, जिसने केवल 776 अंक (रिट याचिकाकर्ता से 31 अंक कम) प्राप्त किए थे, इस आधार पर कि, जबकि रिट याचिकाकर्ता अनुसूचित जातियों से संबंधित था, चौथा प्रतिवादी– पुनर्विचार आवेदक किसी भी पिछड़े वर्ग (यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणियाँ) से नहीं था।

45. यह निर्धारण आयोग द्वारा इस गलत आधार पर किया गया था कि क्षैतिज रूप से सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिक के पक्ष में आरक्षित हैं –

पिछड़े वर्गों (यानी एससी, एसटी और ओ. बी. सी.) के सदस्यों से भरे जाने के लिए अनुपलब्ध थे, भले ही वे उन लोगों की तुलना में अधिक मेधावी पाए गए जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के हकदार इन पिछड़े वर्गों में से किसी से संबंधित नहीं थे। चूंकि सामान्य श्रेणी में पद, यहां तक कि महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांगों, पूर्व सैनिकों आदि के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद भी सभी के लिए उपलब्ध हैं, जो अपनी जाति या सामाजिक स्थिति के बावजूद क्षैतिज आरक्षण के मानदंड को पूरा करते हैं, और केवल उनकी अंतर–योग्यता के आधार पर भरे जाने हैं, इसलिए हमने आयोग को इस गलत आधार पर एक अधिक मेधावी उम्मीदवार की अनदेखी करने में दोषी ठहराया था कि, क्योंकि वह अनुसूचित जाति से संबंधित था, इसलिए वह सामान्य श्रेणी के तहत क्षैतिज रूप से आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अयोग्य था, और इसके बजाय एक कम मेधावी उम्मीदवार यानी चौथे उत्तरदाता– पुनर्विचार आवेदक का चयन किया गया और सामान्य श्रेणी के तहत पूर्व सैनिकों के पक्ष में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई।

46. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर पुनर्विचार आवेदक की ओर से यह तर्क देने के लिए प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिबंधित रूप से क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, इसलिए सामान्य श्रेणी के तहत क्षैतिज रूप से आरक्षित पद पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उच्चतम न्यायालय ने **अनिल कुमार गुप्ता**[7]; **राजेश कुमार दरिया**[8] और **ममता बिष्ट**[5] में ऐसा नहीं कहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों में छिटपुट टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में घोषित कानून के साथ असंगत कानून की घोषणा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।न्यायाधीशों के अवलोकन को न तो यूक्लिड के प्रमेय के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न ही किसी अधिनियम के प्रावधान के रूप में। टिप्पणियों को उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे दिखाई देते हैं।(**मेसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य**[15]**; श्रीनिवास जनरल ट्रेडर्स एंड अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[16])।किसी अधिनियम के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा शुरू करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चर्चा व्याख्या करने के लिए होती है, न कि परिभाषित करने के लिए।

न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करते हैं, वे निर्णयों की व्याख्या नहीं करते हैं।वे कानून के शब्दों की व्याख्या करते हैं, उनके शब्दों की व्याख्या कानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। (**हरियाणा वित्तीय निगम बनाम जगदम्बा ऑयल मिल्स**[17]; **लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हार्टन**[18]; **भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम एन0आर0 वैरामणि**[19]; **अश्विनी कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग**[20]; **भारत संघ बनाम अमृतलाल मनचंदा**[21]; **पी श्रीदेवी डब्ल्यू/ओ पी मुरली कृष्णा बनाम चेरिश्मा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड**[22] और **दीपक बजाज बनाम महाराष्ट्र राज्य**[23])। किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को विधायी अधिनियम के शब्दों के रूप में मानने में हमेशा खतरा होता है, और यह याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की स्थापना में किए जाते हैं। (**हैरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड**[24]; **अश्विनी कुमार सिंह**[20]; **केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता बनाम अलनूरी टोबैको प्रोडक्ट्स**[25]; **एस्कॉर्ट्स लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली II**[26]; **N-R- वैरामणि**[19] **और भारत संघ बनाम मेजर बहादुर सिंह**[27])।

47. न्यायालयों की टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर नहीं लिया जाना चाहिए। परिवेशीय लचीलापन, एक अतिरिक्त या अलग तथ्य दो मामलों में निष्कर्षों के बीच बहुत अंतर बना सकता है।(**एन0आर0 वैरामणि**[19]; **ए0पी0 राज्य बनाम मेसर्स सेवन हिल्स कंस्ट्रक्शंन**[28])। एक शब्द के यहाँ या वहाँ होने को असंगति या राय के टकराव का अनुमान लगाने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।कानून आकस्मिक तरीके से विकसित नहीं होता है।यह सचेत, सुविचारित कदमों से विकसित होता है।(**श्री कोनासीमा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड बनाम एन. सीताराम राजू**[29])।

48. यह निवेदन कि चूंकि रिट याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जातियों के सदस्य के रूप में आरक्षण के लाभ का दावा किया था, उस विज्ञापन के के अनुसार जिसमें उप–कलेक्टरों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, वह अपना विकल्प सामान्य श्रेणी में नहीं बदल सकता है, केवल अस्वीकार किए जाना चाहिए। अनुसूचित जाति का कोई सदस्य अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुन सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षित पदों पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा।

हालाँकि, इसका उल्टा सच नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए विचार किया जाना चाहिए, यहां तक कि एक अनुसूचित जाति का उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुनता है, अव भी, सामान्य श्रेणी के तहत अन्य सभी उम्मीदवारों के साथ विचार किए जाने का हकदार होगा।

49. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सामान्य श्रेणी के पद सभी के लिए उपलब्ध हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने विशिष्ट विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए विचार किया जाए। जिस क्षण कोई व्यक्ति आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करने का विकल्प प्रयोग करता है, तब वह स्वचालित रूप से सामान्य श्रेणी के तहत विचार किए जाने का हकदार होगा।भले ही कोई व्यक्ति अनुसूचित जातियों के पक्ष में आरक्षित पदों पर आरक्षण का लाभ लेने का दावा करता है, फिर भी वह सामान्य श्रेणी के पदों पर चयन के लिए विचार किए जाने का हकदार होगा, क्योंकि सामान्य श्रेणी के पद सभी के लिए खुले हैं और केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य नहीं हैं। विज्ञापन पर आधारित तर्क,निरस्त किये जाने योग्य है।

50. 2017 की रिट याचिका (एसध्बी) संख्या. 392 की सुनवाई करते हुए, हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया था। वास्तव में, उक्त अधिनियम की धारा 3 (1) और 3 (3) रिट याचिकाकर्ता की याचिका निर्भर थीं। हमने **बृजेंद्र देव मिश्रा**[4] मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भी विचार किया, जिसमें 1993 के अधिनियम की धारा 3 (1) और 3 (3) के प्रावधानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया था।

51. मौजूदा पुनर्विचार याचिका में अब यह दलील के आधार पर कि 1993 के अधिनियम के प्रावधानों की एक विशेष बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया गया था, इस न्यायालय द्वारा मामले की फिर से जांच करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 226

उच्च न्यायालय को पुनर्विचार की उस शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकता है जो पूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में न्याय की विफलता को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए निहित है, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि निर्णय गुण–दोष के आधार पर गलत था क्योंकि यह अपील न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। पुनरीक्षण की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो एक अपील न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बना सकती है।(**अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशक शर्मा[30]; मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी[31]; मुदिकी भीमेश नंदा बनाम तिरुपति शहरी विकास प्राधिकरण[32]**)। ''पुनर्विचार'' शब्द का शब्दकोश अर्थ है ''सुधार या सुधार की दृष्टि से कुछ फिर से देखने, पेश करने का कार्य।समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है न कि किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए। किसी विषय पर केवल दो विचारों की संभावना पुनर्विचार का आधार नहीं है।(**लिली थॉमस बनाम भारत संघ[33]; मुदिकी भीमेश नंदा[32]**)।

52. शाब्दिक रूप से और यहां तक कि न्यायिक रूप से समीक्षा का अर्थ है पुनः परीक्षा या पुनर्विचार। इसमें निहित मूल दर्शन मानव दोषपूर्णता की सार्वभौमिक स्वीकृति है। फिर भी, कानून के क्षेत्र में, अदालतें कानूनी और उचित रूप से किए गए निर्णय की अंतिमता के पक्ष में दृढ़ता से झुकती हैं।न्यायिक रूप से गलतियों को सुधारने के लिए अपवाद बनाए गए हैं जिनके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है।(**पी. नीलकंठेश्वरम्मा और अन्य बनाम उप्परी मुथम्मा और अन्य[34]; शिवदेव बनाम पंजाब राज्य[35]**)। पुनर्विचार के लिए एक आवेदन तभी निहित होगा,जब अन्य बातों के साथ साथ आदेश रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त होता है, और इसे जारी रखने की अनुमति देने से न्याय की विफलता होगी। ऐसी किसी त्रुटि की अनुपस्थिति में, निर्णय/आदेश से जुड़ी अंतिमता को बाधित नहीं किया जा सकता है। पुनर्विचार अदालत अपने आदेश पर अपील में नहीं बैठती है। कानून में मामले की फिर से सुनवाई की अनुमति नहीं है। यह सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है कि एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर या घोषणा होने के बाद, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। पुनर्विचार छद्म रूप में एक अपील नहीं है।(**इंदरचंद जैन बनाम मोतीलाल[36]; राजेंद्र कुमार बनाम रामबाई[37] और लिली थॉमस[33]**)।

53. एक त्रुटि, जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क द्वारा पता लगाया जाना है, को शायद ही रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो अदालत को अपनी पुनर्विचार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, किसी गलत निर्णय को ''फिर से सुनना और ठीक करना'' अनुमत नहीं है। एक गलत निर्णय और रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि के बीच एक स्पष्ट अंतर है। जबकि पहले को उच्च मंच द्वारा ठीक किया जा सकता है, केवल बाद वाले को पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र के प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है।(**पार्सिओन देवी बनाम. सुमितरी देवी[38]; मुदिकी भीमेश नंदा[32]**)।एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है, और जिसे तर्क द्वारा पता लगाया जाना है, शायद ही पुनर्विचार की शक्ति के प्रयोग को उचित ठहराते हुए रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि पुनर्विचार याचिका का एक सीमित उद्देश्य होता है।(**हरिदास दास बनाम उषा रानी बनिक[39]**)।

54. पुनर्विचार केवल स्प्ष्ट त्रुटि के सुधार के लिए होती है।(**थुंगभद्र इंडस्ट्रीज बनाम ए0पी0सरकार[40]; मुदिकी भीमेश नंदा[32]; दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन[41]**)। नियम के तहत विचार की गई त्रुटि एक त्रुटि नहीं है जिसे खोजना है। यह असावधानी की गलती होनी चाहिए। (**लिली थॉमस[33]**)। यह एक ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल अभिलेख को देखने पर ही आनी चाहिए, न कि उन बिंदुओं पर चर्चा करने की एक लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता है जहां संभावित रूप से दो राय हो सकती हैं।(**मीरा भान्जा[31]; मुदिकी भीमेश नंदा[32]; सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े बनाम मल्लिकार्जुन भवनप्पा तिरुमाले[42]**)। कोई पुनर्विचार तब तक नहीं हो सकती जब तक कि न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि पहले के आदेश के सामने एक भौतिक त्रुटि प्रकट होती है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है।(**अवतार सिंह बनाम भारत संघ[43]; पी. नीलकंठेश्वरम्मा[34]**)।

55. एक त्रुटि, जिसके लिए पुनर्विचार की आवश्यकता होती है, केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक होनी चाहिए और यह वह होनी चाहिए जो रिकॉर्ड पर प्रकट हो। यदि त्रुटि इतनी स्पष्ट है कि आगे की जांच या जांच के बिना, याचिकाकर्ता के पक्ष में केवल एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

याचिकाकर्ता की पुनर्विचार याचिका पोषणीय होगी। यदि मुद्दे का निर्णय केवल अभिलेखों के अवलोकन से किया जा सकता है, और यदि यह प्रकट है, तो आदेश पर पुनर्विचार करके इसे ठीक किया जा सकता है।यदि निर्णय/आदेश को एक स्पष्ट त्रुटि से दूषित है या यह एक स्पष्ट त्रुटि है, और यदि त्रुटि स्वयं स्पष्ट है, तो पुनर्विचार की अनुमति है।(**एस. बागीरथी अम्मल बनाम पलानी रोमन कैथोलिक मिशन**[44])।एक पुनर्विचार कार्यवाही की तुलना मामले की मूल सुनवाई के साथ नहीं की जा सकती है और निर्णय की अंतिमता पर केवल तभी पुनर्विचार किया जाएगा जब एक स्पष्ट चूक या`चौज गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि न्यायिक त्रुटि के कारण हुई हो।(**उत्तर भारत कैटरर्स बनाम लेफ्टिनेंट. दिल्ली के राज्यपाल**[45]**; मुदिकी भीमेश नंदा**[32])। इसलिए, हम मौजूदा पुनर्विचार याचिका में 1993 के अधिनियम के प्रावधानों की फिर से जांच करने का कार्य करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, क्योंकि यह रिट याचिका की पुनः सुनवाई के बराबर होगा, जो कि अनुज्ञेय नहीं है।

56. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, पुनर्विचार के तहत आदेश किसी भी त्रुटि से अथवा रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त नहीं है, जिससे हमारे पुनर्विचार अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आवश्यक हो जाता है।पुनरीक्षण आवेदन विफल हो जाता है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

(लोक पाल सिंह, जे.) (रमेश रंगनाथन, C.J.) 02.09.2019 02.09.2019